आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार GOVT. OF INDIA

ई- स्थायी लेखा संख्या कार्ड e - Permanent Account Number (e-PAN) Card AAJCV4915B

नाम / Name		VAIJANI ENTERPRISE PRIVATE LIMITED			
नेगमन/गठन की तारीख Date of Incorporation / Formation		03/07/2023			
					Signature Not Verified Digitally eigned by Income Tax Deptt. Date: 2023.07.03 02:49:18 GMT+05:30
< < <	ermanent Account Number (PAN) facilitate Income Tax Department linking of various documents, including payment of tax emand tax arrears, matching of information and easy maintenance & retrieval of electronic information etc. relating to a taxpayer. बायी लेखा संख्या (पैन) एक करदाता से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों को जोड़ने में आयकर विभाग को सहायक होता है, जिसमें करों के भुगतान, आकलन, कर मांग, केलान और इलक्ट्रॉनिक जानकारी का आसान रखरखाव व बहाली आदि भी शामिल है। Quoting of PAN is now mandatory for several transactions specified under Income Tax Act, 1961 (Refer Rule 114B of Income Tax ायकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्दिष्ट कई लेनदेन के लिए स्थायी लेखा संख्या (पैन) का उल्लेख अब अनिवार्य है (आयकर नियम, 1962 के नियम 114B, का संत ossessing or using more than one PAN is against the law & may attract penalty of upto Rs. 10,000. क से अधिक स्थायी लेखा संख्या (पैन) का रखना या उपयोग करना, कानून के विरुद्ध है और इसके लिए 10,000 रुपये तक का दंड लगाया जा सकता है। he PAN Card enclosed contains Enhanced QR Code which is readable by a specific Android Mobile App. Keyword to search th typ on Google Play Store is "Enhanced QR Code Reader for PAN Card. लग्न पैन कार्ड में एनहान्स क्यूआर कोड शामिल है जो एक विशिष्ट एंड्रॉइड मोबाइल ऐप द्वारा पठनीय है। Google Play Store पर इस विशिष्ट मोबाइल ऐप के Enhanced QR Code Reader for PAN Card" है।				
	संलग्न पैन कार्ड में एनहान्स क्यूआर कोड शा	मेल है जो एक विशिष्ट एंड्रॉइड मोबाइल ऐप 7 AN Card" है।		ग है। Google Play Store पर इस विधि	
	संलग्न पैन कार्ड में एनहान्स क्यूआर कोड शा	मेल है जो एक विशिष्ट एड्रॉइड मोबाइल ऐप द	ग्नरा पठनीर	ग है। Google Play Store पर इस विधि	रेष्ट मोबाइल ऐप को खोजने के लिए की

Electronically issued and Digitally signed ePAN is a valid mode of issue of Permanent Account Number (PAN) post amendments in clause (c) in the Explanation occurring after sub-section (8) of Section 139A of Income Tax Act, 1961 and sub-rule (6) of Rule 114 of the Income Tax Rules, 1962. For more details, <u>click here</u>